राजस्व लोक अदालत / कोर्ट केम्प
स्थान जुल्मी दिनांक 25/5/16

25/5/16	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत एवं कोर्ट केम्प शिविर जुल्मी पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित है। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रतिपक्षीगण को अर्थात प्रतिवादीगण को वारिसान नं० 1 के पति तथा वादी०	R.T. कुनबाई पुरीलाल पृथ्वीराज मोतीलाल

Gopal

क्रमशः

नं० 2 व 5 के पिता का नाम शुद्ध किये जाने पर आपत्ति नहीं है।

पक्षकारान अभी भूमि का विभाजन नहीं कराना चाहते है। इस प्रकार पक्षकारान के मध्य इस क्रम में सहमति है कि वादग्रस्त भूमि वाके मौजा - जुलखी की भूमि पर वादिया नं० 1 के पति तथा वादी नं० 2 व 5 के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में बुद्धी लाल दर्ज कर रखा है, उसे बद्रीलाल कर दिया जावे।

प्रतिवादीगण का जवाब भी इकबालिया है, साथ ही साथ पक्षकारों के मध्य सहमति के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवाद्यक बिन्दुओं का अवसान हो जाना प्रकट होता है।

अतः सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि वादग्रस्त भूमि वाके मौजा जुलखी ख० नं० 1489, 1493, 1860, 1861, 1862, 1863, 1880, 1881, 1884, 1891, 1894, 1895, 2035, 2528, 2529, 2586,

हुक्म		हुक्म की तामील में जारी हुए
	कुल किता 16 रकबा 10.21 हैक्टर पर दर्ज बुद्धीलाल का नाम बद्रीलाल उर्फ बुद्धीलाल अंकित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में अमल हो। तदनुसार डिक्री फर्द जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25/5/2016 को राजस्व लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। (चिन्मयी गोपाल) I.A.S. प्रशिक्षु	

राजस्व लोक अदालत - 2016
कैम्प - जुल्मी

(५)

Judl/Civil
Part IV-10

फाईनल

डिकरी व मुकद्दमे ~~[illegible]~~

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, ज.क. [illegible])

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी — रामगंजमण्डी
व इजलास— चिन्मयी गोपाल [I.A.S. प्रशिक्षु]

धूलीबाई — पृथ्वीराज

दावा ब.बत— 88-89-53 R.T.Act

मुकद्दमा नं.— 138 — सन् 2015

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— चिन्मयी गोपाल [I.A.S.]

बहाजरी— श्री S.R. अहीर एड. — मिनजानिब: श्री परमानंद अहीर एड.

—मिनजानिब मुद्दा[illegible] पेश [illegible] हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि वादग्रस्त भूमि वाके माल मौजा जुल्मी ख०नं० 1489, 1493, 1860, 1861, 1862, 1863, 1880, 1881, 1884, 1891, 1894, 1895, 2035, 2528, 2529, 2586 कुल किता 16 रकबा 10.21 हे० पर दर्ज बुद्धिलाल का नाम बद्रीलाल उर्फ बुद्धिलाल अंकित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में अमल हो।

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद ब अरह— x — [illegible] का हवाला

से तारीख वसूलयाबी तक— x — [illegible]

बदस्तखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 25 — 05 — 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दालेह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ..			स्टाम्प [illegible]नामा		
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प बजह सबूत ..			महनताना [illegible]र		
महनताना वकील ..			खर्चा [illegible]		
खर्चा गवाहान ..			फीस क[illegible]		
फीस कमिश्नर ..			बाबत [illegible]नामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक ..					
मीजान	—	—	[illegible]	—	—

नोट:—इस खर्च के बाबत पर कुल खर्चा हुए दो फरीकैन को [illegible]

खर्चा बाईट: वाद व्यय पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

रा. मु. को.—20—2005—1,00,000 प्र.